जबलपुर जबलपुर

श्री गणेश जी सदा सहाय करें

विक्रय-पत्र

विक्रय व बाजार मूल्य- 1,50,000/- अंकन एक लाख पचास हजार रुपया मात्र ।

पर दिया गया स्टाम्प शुल्क ---- ------------ 12,000-00

जनपद सभा स्टाम्प शुल्क------------------------ 1500-00

उपकर स्टाम्प शुल्क------------------------ 600-00

अति० स्टाम्प शुल्क------------------------ 100-00

योग- 14,200/- अंकन चौदह हजार दो सौ रुपया मात्र ।

विक्रय संपत्ति कृषि उपयोग की भूमि है, असिंचित है, अविकसित है, एक फसली भूमि है, मुख्य मार्ग से दूर स्थित है, कच्चे मार्ग पर स्थित है । क्रेता एवम् विक्रेता दोनों आदिवासी अनुसूचित जनजाति समूह के नहीं है । यह शासकीय पट्टा अथवा भूदान की भूमि नहीं है, भूमि पर वृक्ष कुआं नहीं है। भू अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक-M-190546 में दर्ज है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के तहत सभी विवरण दस्तावेज में दिये गये है ।

विक्रय-पत्र लिख दिया बाबत आप खरीददार- 'महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडीकल कॉलेज, जबलपुर द्वारा अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा पिता स्व० के० सी० शर्मा पता- 'डिप्लोमेट डॉक्टर कम्पाउण्ड' सिविल लाईन, जबलपुर वालों को ।

2-

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal

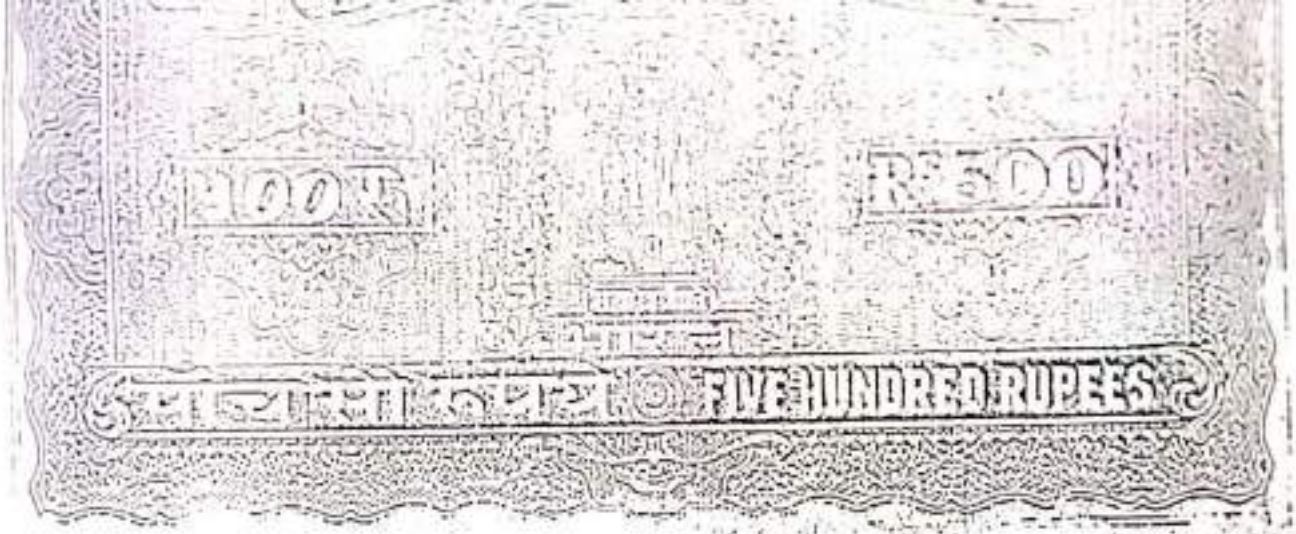

Rs.500

FIVE HUNDRED RUPEES

~~[illegible] 50,000/- [illegible]~~

<u>मिलेख</u>

बाबत् ऐसा कि हम विक्रेता उक्त जायदाद के तन्हा मालिक-काबिज है । उक्त वर्णित जमीन के पूर्व स्वामी श्री अनवर पिता मुश्ताक अहमद ने यह सम्पत्ति भूमि, श्री राजकुमार गुप्ता पिता स्व. श्री बंशीलाल गुप्ता साकिन 315 गली नं. 8 सदर बाजार, जबलपुर से भूमि खसरा नं. 115/3 जिसका नया खसरा नं. 95 है, रजि. बैनामा दिनांक 8.2.1989 को खरीद की थी । और हम विक्रेता ने श्री अनवर वल्द मुश्ताक अहमद, जबलपुर वालों से उक्त वर्णित सम्पत्ति भूमि बैनामा दिनांक 3 अगस्त 1995 को खरीद की थी । और खरीद तारीख से हम मालिक है, यह स्वयं के खास कब्जा दखल मालकाना में है, और हमारा नाम स्वतंत्र भू.स्वामी की हैसियत से सरकारी रिकार्ड में नामान्तरण स.क्र.13 ग्राम पंचायत पिपरिया कलॉं के प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 2.10.95 के तहत दर्ज है हमें विक्रय करने का पूर्ण कानूनी हक व अधिकार है हम विक्रेता को परिवार के खर्च तरक्की के वास्ते एवं अन्यान्य व्ययों के पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता है आप क्रेता संस्था हमें वाजिब मूल्य देने तैयार है ।

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal

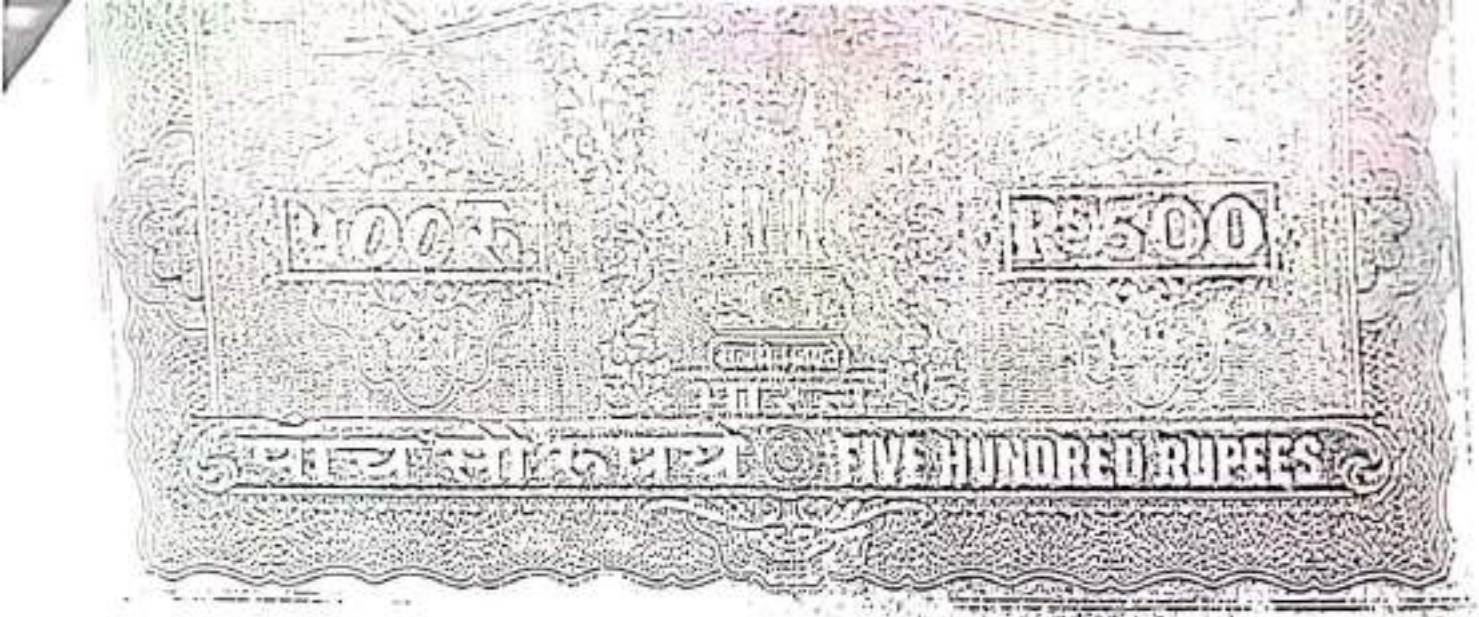

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES Rs500

हमें उक्त जमीन से कोई लाभ नहीं है, अतः अपनी आवश्यकता को देखते हुए हमने अपनी जमीन बेच देना ठीक समझा । अतः उक्त जायदाद आप क्रेता को उक्त उचित मूल्य में सदैव के वास्ते, स्थाई तौर पर स्थित हर चीज के सहित, उक्त विवरण की पूरी की पूरी जमीन समस्त अधिकारों सुखाधिकारों सहित विक्रय कर खाली व पाक-साफ हालत में कब्जा दखल मालकाना सौंप दिया है, अब आप से आप क्रेता संस्था मालिक काबिज हुए । आप क्रेता संस्था अपना नाम समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज करा लेना, हमारा नाम खारिज करा देना, जैसा चाहें मन-माफिक यथोचित उपयोग-उपभोग करना, रहन, बैय, दान, काश्त, निर्माण इत्यादि जो चाहें करें हम विक्रेता व हमारे वारसानों को कोई उजर-दावा आपत्ति नहीं होगी ।आप क्रेता संस्था के पक्ष में नामान्तरण के लिये इसी दस्तावेज से हम सहमति देते है ।

च

यह कि विक्रय संपत्ति समस्त या उसका कोई भाग हम विक्रेता की किसी मालिकी हक्क की खामी की वजह से या किसी प्रकार के बार या झगड़ों की वजह से आप क्रेता संस्था आपके वारसान या आपसे अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के कब्जा दखल मालकाना से निकले तो निकले हिस्से की कुल कीमत, लागत, हर्ज- खर्च आदि सभी के देनदार जिम्मेदार हम विक्रेता व हमारे वारसान व हमारी हर तरह की चल-अचल संपत्ति सदैव होगी ।

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic

ONE HUNDRED RUPEES ₹100

लिहाजा यह विक्रय पत्र राजी-खुशी से स्वस्थय हालत में, अपने पूर्ण होशो हवाल में, समक्ष गवाहों के, बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से लिख दिया ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत पर काम आवे, जबलपुर दिनांक- 11.11.2003 ई0 जबलपुर । काट छांट नहीं है।

प्रारूपकर्ता - चौधरी प्रशांत जैन, दस्तावेज लेखक , दुकान नम्बर-29, चंदामर मार्केट कलेक्ट्रेट रोड, जबलपुर फोन नम्बर- 2622069

गवाह-1 उदय सिंह

नाम- उदय सिंह

पिता का नाम- अमर सिंह

पता- सरकारी कुआँ

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह-2 [illegible]

नाम- [illegible]

पिता का नाम- श्री [illegible]

पता- [illegible] जबलपुर

हस्ताक्षर खरीददार

पेज नं 1 पर मार्क ⓐ
पेज नं 2 पर मार्क ⓑ से ⓒ
पेज नं 3 पर मार्क ⓒ से ⓓ
सुधार मार्क मेरे द्वारा प्रमाणित है

दस्तावेज लेखक का नाम [illegible]
लाइसेन्स नं. [illegible]
निवास का [illegible]
रजि. में दर्ज [illegible] 764 [illegible]
फीस शुल्क रु. [illegible]

हस्ताक्षर

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi [illegible]

10000 रु.

Rs.10000

TEN THOUSAND RUPEES

10000 रु.

भारत INDIA

Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

1368

ce

14/11/03

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

1368

14/11/03

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

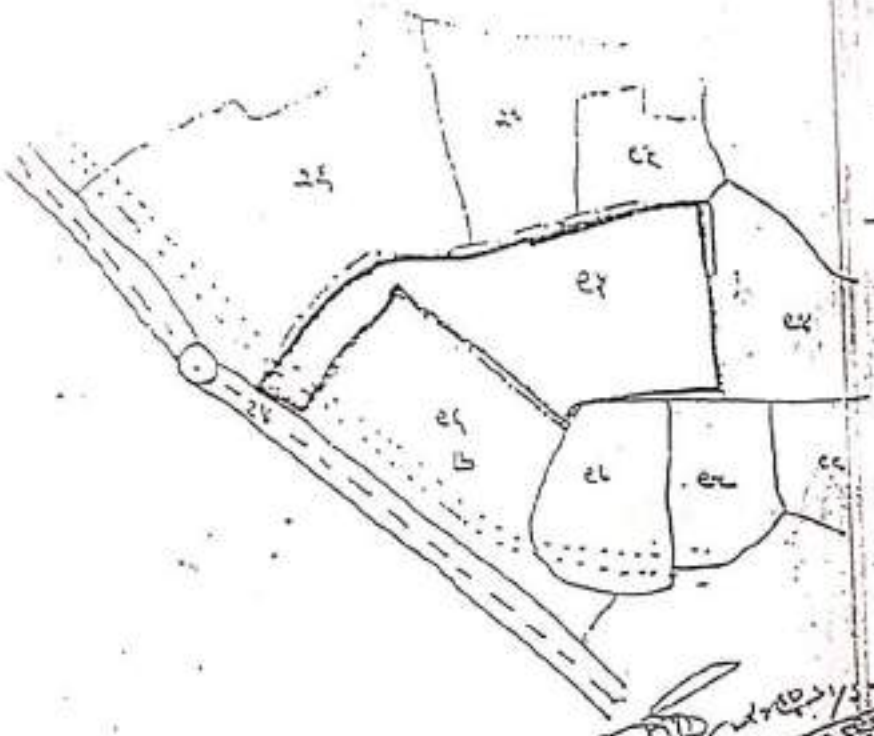

जिला-जबलपुर

प. ह. नं.

रा. नि. मं.

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

आवेदनपत्र क्रमांक 3128/08
प्रकरण क्रमांक 234/अ-2/03-04
सत्यप्रति आदेश पारित दिनांक 14 सितम्बर 04 की

103

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर

राजस्व प्र.क्र./234/अ-2/2003-04

महात्मागांधी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जबलपुर द्वारा अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा वल्द श्री के.सी. शर्मा, निवासी डिफाइड टाकीज सिविल लाईन जबलपुर।

---- आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

---- अनावेदक

आदेश

(पारित आज दिनांक 14 सितम्बर 04)

प्रार्थी महात्मा गांधी होम्योपैथिक कालेज जबलपुर (जिसे आगे आवेदक संबोधित) द्वारा ग्राम पिपरिया खसरा नंबर पटवारी हल्का 210 र.नि.मं. 5 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 95 के भूमि का व्यपवर्तन का आवेदनपत्र, भूमि का नक्शा खसरा फार्म के साथ प्रस्तुत किया गया।

2- प्रकरण जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय भू अभिलेख (ग्रामीण) जबलपुर को भेजा गया। उनके द्वारा प्रकरण में स्थानीय संस्थाओं [illegible] विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर, सरपंच ग्राम पंचायत, भू अर्जन अधिकारी की अनापत्ति/अभिमत हेतु पत्र जारी किया एवं आवेदक से बी-1 एवं पुराना खसरा पांचसाला नकल, अधिकार अभिलेख वर्ष 54-55 खसरा वर्ष 54-55 एवं बी-1 वर्ष 54-55 की नकल प्रस्तुत करने निर्देशित किया तथा आवेदक को इश्तहार जारी कर [illegible], पंचायत [illegible] नियम [illegible] प्रकाशित किया गया पर आवेदन को कोई आपत्ति नहीं है तथा [illegible] स्वीकार है --- 2

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
जबलपुर

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
[illegible] Homoeopathic

(10)

3– [illegible] द्वारा ग्राम निवेश जबलपुर के पत्र क्र. [illegible]/नगर नि./[illegible] दिनांक 27-03-04 से डा. रवनीश गर्ग आर.एम.आर. की [illegible] नीमखेड़ा को [illegible] है, मे लेख है कि [illegible] खसरा नंबर 210 के अंतर्गत [illegible] 115/3 तथा 95 की भूमि जबलपुर निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा भूमि उपयोग वर्तमान रूप से कृषि है। परन्तु यदि प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि से भिन्न विकास/निर्माण किया जाना है, तो विहित रूप से सक्षम प्राधि-कारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा चाहे जाने पर समुचित विचार उपरान्त अभिमत से अवगत कराया जावेगा।

4– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर के पत्र क्र. 930/भू अर्जन/2002 दिनांक 22-5-2002 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी विभाग द्वारा इस कार्यालय में भूमि अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है अतः उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5– सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया (कलां) द्वारा दिनांक 14-11-2003 को जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है जिसमें लेख है कि ग्राम पंचायत पिपरिया (कलां) को ग्राम के अन्तर्गत [illegible] स्कूल के सामने खसरा नंबर 95 में होने वाले भवन निर्माण (अस्पताल) पर कोई आपत्ति नहीं है।

6– हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख है कि भूमि निस्तार पत्रक, [illegible] में दर्ज नहीं है।

7– आवेदक द्वारा पटवारी खसरा नकल वर्ष 1991-92 से 96-97 की छाया प्रति एवं पटवारी खसरा नकल, खसरा पाँचसाला वर्ष 2000-2001 से 2003-04 की छायाप्रति एवं प्रमाणित प्रति, कम्प्यूटराइज्ड खसरा नकल वर्ष 2002-2003, अधिकार अभिलेख वर्ष 54-55 की प्रमाणित प्रति, [illegible] वर्ष ग्राम पिपरियाकलां की प्रमाणित प्रति, [illegible] बंदोबस्त खसरा वर्ष 1991 की प्रमाणित प्रति, नामांतरण पंजी वर्ष 84-85 ग्राम पिपरियाकलां की प्रमाणित प्रति, किश्तबंदी [illegible] वर्ष 95-96 की प्रमाणित प्रति, वर्ष 84-85 एवं 86-87 की प्रमाणित

—3

सत्य प्रतिलिपि
11-2-08
[illegible] प्रतिलिपिकार
जबलपुर

Head Copyist Office of Collector

प्रति, विक्रय पत्र की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की है। जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी स्वत्व एवं आवेदक संस्था के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी लेख किया है कि भूमि 1954-55 में शासकीय घास अंकित है, जो राजकुमार वल्द धन्नीलाल को शासकीय पट्टे पर मिलने का लेख अंकित है। बाद में यह भूमि 1986-87 में मो. अनवर वल्द मुश्ताक को प्राप्त हुई। प्रस्तुत खसरा नकल के अनुसार मो. अनवर से भूमि 94-95 के खसरा नकल में राव रविन्द्र वल्द रामगोपाल के नाम दर्ज हुई, जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आवेदक ने भूमि क्रय की है।

8- अधीक्षक भू अभिलेख (डाय.) जबलपुर द्वारा प्रकरण में स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया तथा, आवेदक के कथन लेते हुए राजस्व निरीक्षक (डाय.) का प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, स्थानीय संस्थाओं के अभिमत के आधार पर आवेदक को शोकाज नोटिस में प्रस्तावित भू राजस्व, पंचायत उपकर, प्रीमियम आंकलित कर प्रस्तावित किया जिस पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होने तथा स्वीकार होने से प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रेषित किया जाकर यह भी लेख किया कि म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में हुए संशोधन राजपत्र में 3 मई 2003 को प्रकाशित है के बाद अब ऐसी भूमियों हेतु व्यपवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि का मात्र म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अन्तर्गत भू राजस्व का पुनर्निर्धारण ही होना है।

9- इस न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 10-9-04 द्वारा आवेदक को आदेशित किया गया था कि शोकाज में प्रस्तावित भू राजस्व, पंचायत उपकर एवं प्रीमियम की एक मुश्त राशि जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आंकलित की गई है, चालान से शासकीय खजाने में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में विधिवत रूप से आदेश पारित किया जा सके। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू राजस्व, पंचायत उपकर की प्रीमियम की राशि चालान क्र. 1/6, 1/7 एवं 1/8 दिनांक 13-9-04 को जमा कर चालान की छाया प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है।

—— 4

सत्य प्रतिलिपि
11-2-08
प्रतिलिपिकार
... जबलपुर

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Medical College Jabalpur (M.P.)

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic
Jabalpur (M.P.)

(107)

11- अतिरिक्त मु अभियंता (प्रथम) के प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त अभिमत/अनापत्ति का का अवलोकन कर परीक्षण किया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि जयपुर विकास क्षेत्र से बाहर है तथा भू राजस्व संहिता में हुए संशोधन अनुसार अतिरिक्त मु अभियंता (प्रथम) के प्रतिवेदन के आधार पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भू राजस्व 3500-00 रु. प्रतिवर्ष, वर्ष 2003-04 से ... रु. 1750-00 संहिता की धारा 59(3)(ख) एवं नियम एक मुश्त रुपये 2789-00 संहिता की धारा 59 (5) (6) व नि (2) के तहत मान्य किया जाकर पुनर्निर्धारण स्वीकार किया जाता है तथा निर्माण कार्य के संबंध में निम्नांकित शर्तें अधिरोपित की जाती हैं :-

(1) आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर अनधिकृत कॉलोनी स्थापित नहीं करेगा।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर कोई भी निर्माण सार्वजनिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा में बाधक नहीं होगा।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर कोई भी निर्माण की विधा विन्यास तथा उस तक पहुंच संबंधित बस्ती के निवासियों को असुविधा नहीं करेगी।

(4) आवेदक संस्था संयुक्त निदेशक, नगर तथा ग्राम नियोजन से नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम 1973 के तहत तथा भूमि विकास नियमों के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण अनुज्ञा/अनापत्ति प्राप्त करेगा उपविभाजन स्वीकृत करायेगा। पश्चात ही आगे कोई विकास कार्य करेगा। स्वीकृत अभिन्यास की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(5) इस भूमि का डायवर्सन ख.नं. 95 में से रकबा मात्र 20,000 वर्गफुट का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्धारण है। यदि इससे अधिक रकबे पर निर्माण कार्य आदि किया जाता है तो डायवर्सन/पुनर्निर्धारण हेतु पृथक से आवेदन दिया जाये।

(6) आवेदक सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा जयपुर एवं नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 तथा नगर भूमि अधिकतम सीमा निरसन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा

सत्य प्रतिलिपि
11-2-08
मुख्य प्रतिलिपिकार
कलेक्ट्रेट, जयपुर

111

व्यपवर्तनकर्ता कार्यालयों के द्वारा दिये गये आदेशों का कड़ाई से पालन करेगा ।

(7) आवेदक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं ग्राम पंचायत, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्तियों, अभिमतों/अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का पालन करेगा।

(8) . निर्माण कार्य से पूर्व स्थानीय संस्था से अनुमति लेना होगा तथा आवश्यक नक्शा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन कराना होगा।

(9) यह अनुज्ञा केवल व्यवसायिक उपयोग हेतु है। अन्य प्रयोजन में उपयोग किये जाने के पूर्व पुनः विधिवत अनुमति लेना होगी।

(10). उपरोक्त व्यपवर्तन अनुज्ञा एवं पुनर्निर्धारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथपत्र, को सत्य मानकर तथा स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त/प्रस्तुत मत के आधार पर पूर्णतः सशर्त दी जा रही है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि प्रस्तुत/प्राप्त कोई दस्तावेज, त्रुटिपूर्ण, फर्जी, कूटरचित है अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा विपरीत राय दी जाती है तो दी गई अनुज्ञा एवं किया गया पुनर्निर्धारण स्वमेव निरस्त समझा जावेगी तथा आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

(11) यह अनुज्ञा मात्र म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत दी जा रही है। यदि होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अन्य विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं से कोई अनुमति या प्राधिकार प्रश्नाधीन भूमि के उपयोग हेतु है तो वह विधि अनुसार प्राप्त की जावे ।

(12) भूखण्ड पर स्थित पुल, विद्युत, टेलीफोन, यदि हो तथा निर्माण सीमा में आ रहे है तो उन्हें हटाने की पृथक से विधिवत अनुमति लेना होगा।

-- 6

सत्य प्रतिलिपि
11-2-03
प्रतिलिपिकार
न्या., जबलपुर

Office of the Head Copyist Collectorate Jabalpur

Principal
Mahatma Gandhi Homoeopathic Medical College Jabalpur (M.P.)

113

(13) आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य मार्ग [illegible] से [illegible] दूरी तक भूमि को [illegible] निर्माण कार्य नहीं करेगा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], और [illegible] [illegible] के [illegible] से [illegible] प्राप्त करेगा।

उपरोक्त शर्तों अथवा किसी शर्त के उल्लंघन पर [illegible] यथाशीघ्र अनुज्ञा रद्द किया तथा पुनर्निर्धारित [illegible] [illegible] /[illegible] समझा जायेगा।

आदेश आज [illegible] न्यायालय में पारित।

अनुविभागीय अधिकारी,
जबलपुर।
अनुविभागीय अधिकारी
जबलपुर

सत्य प्रतिलिपि
11-2-08
मुख्य प्रतिलिपिकार
कलेक्ट्रेट, जबलपुर

10/3/08
19/3/08
11/3/08

11/3/08
12/3/08
11-2-08

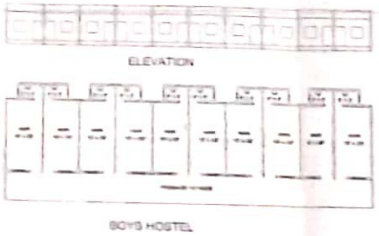

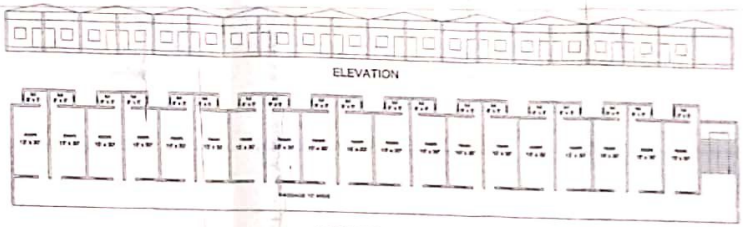

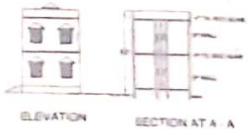

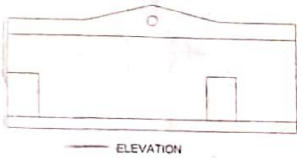

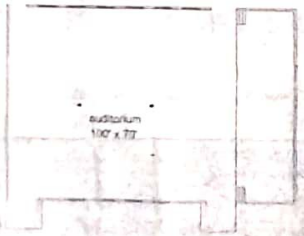

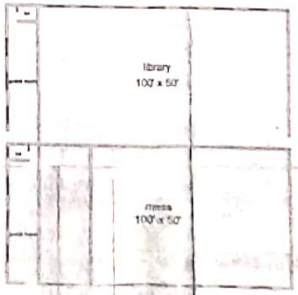

PLAN SHOWING THE PROPOSED CONSTRUCTION OF
"MAHATMA GANDHI HOMEOPATHY COLLEGE"
VILLAGE PIPARIAKALA, TAH & DISTT JABALPUR
ELEVATION
BOYS HOSTEL
ELEVATION
GIRLS HOSTEL
ELEVATION
SECTION AT A - A
FIRST FLOOR PLAN
GROUND FLOOR PLAN
ELEVATION
auditorium
100' x 77'
AUDITORIYAM
ELEVATION
library
100' x 50'
mess
100' x 50'
MESS / LIBRARY
play ground
N
TO TFRI
MAIN ROAD
TO NEEMKHEDA
KEY PLAN

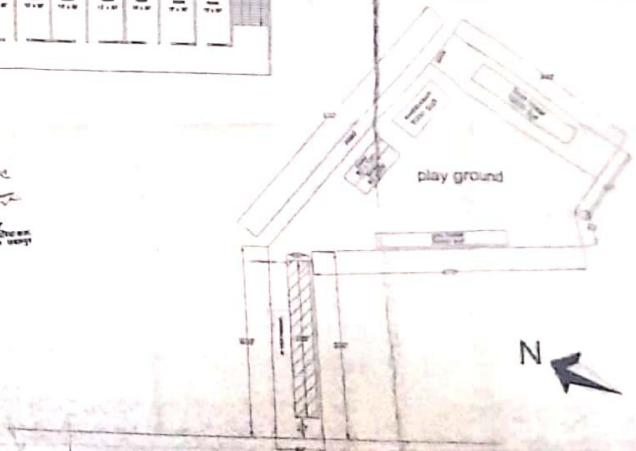

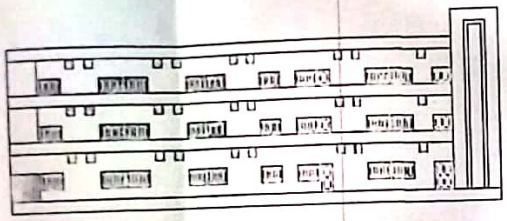

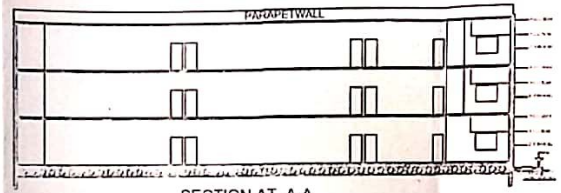

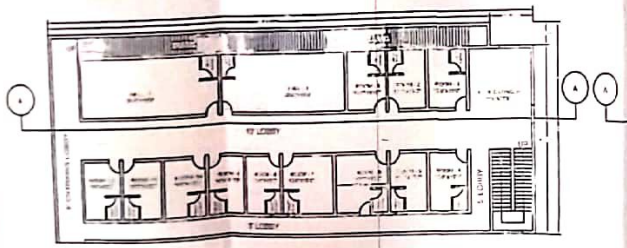

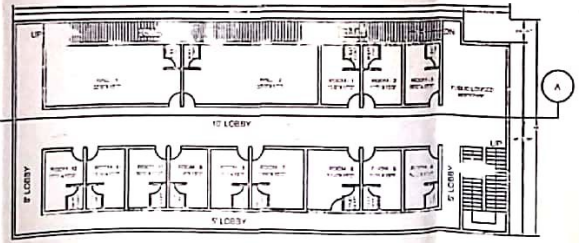

PLAN SHOWING THE PROPOSED CONST. MAHATMA GANDHI HOMEOPATHY HOSPITAL AT SETT. NO.- 415, P.H.NO. 48, KH.NO. 95, R. C. KHAMARIYA VILLAGE PIPARIAKALA TAH. DISTT. JABALPUR (M.P.)

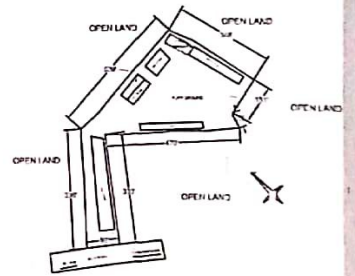

OWNED BY
MAHATMA GANDHI HOMEOPATHY COLLEGE
THROGH CHAIR MAN SHRI. RAJENDRA VERMA S/O
LATE SHRI. K. C. VERMA

JOINARY DETAIL :-

DOOR	D	[illegible]
	D1	[illegible]
	D2	[illegible]
WINDOW		
	W1	[illegible]
	W2	[illegible]
VENT.	V	[illegible]

AREA STATEMENT

PLOT AREA	[illegible] SQFT
G.F. BUILT UP AREA	[illegible] SQFT
F.F. BUILT UP AREA	[illegible] SQFT
S.F. BUILT UP AREA	[illegible] SQFT
TOTAL BUILT UP AREA	[illegible] SQFT
GROUND COVERAG	[illegible]
F.A.R.	[illegible]

INDEX

PROP. CONST.
EXISTING WORK
BOUNDARY
DRAIN
ROAD

OWNER'S SING.

REG.NO.	T & CP NO.	DATE	DRG BY
[illegible]	[illegible]	13.11.2018	

SAILCON